# प्रेस नोट - थाना  सदर बाजार

# जनपद शाहजहाँपुर

## दिनांक – 18.07.2026

**"थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी किया गया ई-रिक्शा एवं ई-रिक्शा की बैटरी बरामद कर 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।"**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध शराब/शस्त्र विक्रय तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के कुशल नेतृत्व में थाना सदर बाजार पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई ।

**संक्षिप्त विवरणः-**

दिनांक 18.07.2026 को वादी द्वारा दी गई तहरीर बावत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी का ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन संख्या UP 27 CT 3556 चेसिस नं0 MD9SECRE24U655115, मोटर नं0 CY48M24100115 को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में दी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 364/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । घटना की सूचना तत्काल अधिकारीगण को दी गयी। घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी । आज दिनांक 18.07.26 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम गश्त करते हुई ओपी कैंट ग्वाल टोली चौराहे पर खड़ी थी कि मुखबिर खास ने आकर सूचना दी कि साहब आपके ई रिक्शा चोरी के मुकदमें से सम्बन्धित चार लोग ई रिक्शा की दो बैटरी लेकर फैक्ट्री स्टेट में पंचवटी शिव मंदिर के पास तिराहे पर कहीं जाने की फिराक में खड़े हैं । इन्ही चारों ने मिलकर ई रिक्शा चोरी किया था और बैटरी को कहीं बेचने की फिराक में है । यदि जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते हैं । उक्त सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताये स्थान पंचवटी मंदिर के सामने तिराहे पर पकड़ लिया । उन चारों लोगों को मौके पर ही EASTMAN कम्पनी (नं0 125CL5RCE32S31103 व 125CL5RCE32S31042) नीले रंग की दो बैटरी के साथ पकड़ लिया । पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम विशाल पुत्र बलवन्त नि0 ग्राम चिनौर थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 20 वर्ष बताया। जामा तलाशी से पहनी हाफ लोअर की बांयी जेब से एक 420 रुपये बरामद हुए तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम पुनीत सक्सैना पुत्र रामबहादुर नि0 ग्राम चिनौर थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 24 वर्ष बताया जामा तलाशी से पहनी पैन्ट की दाहिनी जेब से एक 330 रुपये बरामद हुए तथा तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम रोहित कुमार पुत्र महेश वर्मा निवासी ग्राम चिनौर थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 20 वर्ष बताया जामा तलाशी से हाफ लोअर की दाहिनी जेब से एक 210 रुपये बरामद हुए तथा चौथे व्यक्ति ने अपना नाम आदेश पुत्र रामसेवक निवासी ग्राम चिनौर थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 19 वर्ष बताया जामा तलाशी से पहनी जीन्स पैन्ट की पीछे की जेब से एक 260 रुपये बरामद हुए । अभियुक्तगण की निशादेही पर कैण्ट क्षेत्र के जंगल से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी की गयी ई रिक्शा चैसिस नं0- MD9SECRE24U655115 रजि0 नं0- UP27CT3556 बरामद हुई । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्तगण को उनके मुकदमा व उसके जुर्म धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से अवगत कराकर गिरफ्तारी का कारण लिखित में बताते हुए समय करीब 12.42 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों को बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरणः–**

1.विशाल पुत्र बलवन्त निवासी ग्राम चिनौर थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 20 वर्ष

2. पुनीत सक्सैना पुत्र रामबहादुर निवासी ग्राम चिनौर थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 24 वर्ष

3. रोहित कुमार पुत्र महेश वर्मा निवासी ग्राम चिनौर थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 20 वर्ष

4. आदेश पुत्र रामसेवक निवासी ग्राम चिनौर थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 19 वर्ष

**पंजीकृत अभियोग का विवरणः-**

मु0अ0सं0 364/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर।

**गिरफ्तारी का दिनांक,समय व स्थानः-**

दिनांक 18.07.2026 समय 12.42 बजे, पंचवटी मंदिर के सामने तिराहे पर ,

**बरामदगी का विवरण –**

1. एक ई रिक्शा, चैसिस नं0- MD9SECRE24U655115 रजिं0 नं0- UP27CT3556
2. दो अदद बैटरी (EASTMAN कम्पनी नीले रंग की नम्बर 125CL5RCE32S31103 व 125CL5RCE32S31042)
3.अभियुक्त विशाल से 420 रुपये बरामद
4.अभियुक्त पुनीत से 330 रुपये बरामद
5.अभियुक्त रोहित कुमार से 210 रूपये बरामद
6.अभियुक्त आदेश से 260 रुपये बरामद

**पूछताछ विवरण अभियुक्तगण –**

अभियुक्तगणों ने बैटरियों के बारे में पूछा गया तो बताया कि साहब दिनांक 10.07.2026 को हम लोगों ने एक ई रिक्शा लाल बंगला कैंट से चोरी किया था। उस ई रिक्शा की दो बैटरी तो हम लोगों ने 4000 रुपये में राह चलते कबाड़ी को बेच दीं थी। और हम लोगों ने आपस में एक – एक हजार रुपये बांट लिये थे। आज इन दो बैटरी को भी बेचने जा रहे थे कि आपने हम लोगों को पकड़ लिया। हम लोगों के पास जो पैसे बचे हैं यह वही हैं जो बैटरी बेचकर हम लोगों को मिले थे। बाकी हम लोगों ने शौक मौज में खर्च कर लिये हैं तथा ये ई रिक्शा हम लोगों ने जंगल में छिपा रखा था जो आज हमने आपको बरामद करा दिया है।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरणः-**

1.उ0नि0 श्री भूपेन्द्र कुमार, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर
2.का0 मनीष कुमार
3.का0 मोनू थाना
4.रि0का0 भूपेन्द्र कुमार
5.रि0का0 अविमनु सिंह
6.रि0का0 विकी